खबर संक्षेप

24 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

मण्डला। पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एवं एसडीओपी नैनपुर मनीष राज के मार्गदर्शन में थाना बम्हनी एवं चौकी अंजनिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के प्रकरण का 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनांक 15 जुलाई 2026 को प्रार्थी अनुराग पटेल पिता जयचंद पटेल, निवासी मांद द्वारा चौकी अंजनिया, थाना बम्हनी में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी खब्बा उर्फ हमीद खान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के उपरांत आरोपी के कब्जे से चोरी गई घरेलू गैस सिलेंडर सहित चोरी गई संपत्ति बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,000 है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेशानुसार उसे जिला जेल मंडला भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में एसडीओपी नैनपुर मनीष राज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बम्हनी निरीक्षक सतेंद्र रघुवंशी, चौकी प्रभारी अंजनिया सउनि जगदीश झारिया, प्रधान आरक्षक संतोष कुमार मरावी, नारायण प्रसाद उइके, आरक्षक विनोद कुमार टेकाम, लीलामणि आर्मो, कैलाश यादव एवं दिनेश पगरवार की सराहनीय भूमिका रही।

छात्रावास अधीक्षकों का किया जा रहा शोषण

जिला शिक्षा केन्द्र में खुला भ्रष्टाचार

*** नियम विरूद्ध नियुक्त एपीसी द्वारा जबरदस्त वसूली?**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

बिना विभागीय अनुमति के सहायक परियोजना समन्वयक की नियुक्ति पर उठे सवाल

अपात्र पर क्यों मेहरबान प्रशासन

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र समग्र शिक्षा अभियान, मण्डला

लगभग एक वर्ष पूर्व सहायक परियोजना समन्वयक की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था जिसमें माध्यमिक शिक्षक, शासकीय सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चाबी, विकासखंड मोहगांव को आगामी आदेश तक शैक्षणिक व्यवस्था के तहत सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा), जिला शिक्षा केन्द्र मण्डला के रिक्त पद पर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था।

आदेश में यह भी उल्लेख था कि उक्त अवधि में उनका वेतन भुगतान पूर्व संस्था से ही किया जाएगा, और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। जनजाति कार्य विभाग की शिक्षिका जिला शिक्षा केन्द्र में कार्य करेंगी, जबकि वेतन जनजाति कार्य विभाग से ही प्राप्त करेंगी।

विभागीय नियमों के अनुसार सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों का संलग्नीकरण नहीं किया जा सकता, फिर भी उन्हें यहां संलग्न किया गया जो कि स्पष्ट रूप से नियमों की अवहेलना दर्शाता है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार यह नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई थी राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा इस पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, किंतु संबंधित शिक्षिका इस मानदंड को पूरा नहीं करतीं। इसके बावजूद उन्हें नियुक्त करना अपने आप में चयन प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता रहा है।

अब जबकि लगभग एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया न तो इस अवैध नियुक्ति पर कोई कार्यवाही हुई और न ही अधिकारियों ने इस दिशा में कोई ध्यान दिया जबकि तात्कालीन समय में जब मामला गर्माया था तो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह कहा गया था कि यह व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था है और नियुक्ति अस्थाई रूप से की गई है इन्हें कुछ समय के लिये लाया गया है शीघ्र ही तय नियमों के अनुसार पात्र व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जायेगा लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जबकि क्षेत्रीय संयोजक एवं प्रभारी सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक को जिला शिक्षा केन्द्र में यदि कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है तो जनजातीय कार्य विभाग से अनुमोदन लेना आवश्यक है उन्होंने इसकी जांच कराकर वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही थी लेकिन नियुक्ति के बाद से वे भी शांत बैठे रहे।

अब स्थिति यह है कि जब नियम विरूद्ध इस नियुक्ति के विरोध में कहीं कोई न तो कार्यवाही हुई और न ही किसी तरह की स्पष्टता सार्वजनिक की गई तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें जिला शिक्षा केन्द्र एवं जनजातीय कार्य विभाग की मिलीभगत है और यही कारण है कि अब सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा) द्वारा छात्रावास अधीक्षकों को न केवल परेशान किया जा रहा है बल्कि उनका वित्तीय शोषण भी हो रहा है।

साल भर से इस तरह की खबरें प्रकाश में आती रही हैं लेकिन कोई भी अधीक्षिका सामने आकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी लेकिन अब जबकि यह स्पष्ट होता गया कि आने वाले समय में भी सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा) पद पर इन्हीं को काबिज रहना है तो फिर अब इन अधीक्षिकों का धैर्य जबाव दे गया और इन्होंने इनकी वसूली के प्रमाण एकत्रित करना प्रारंभ कर दिये।

जिस तरह से फोन पर विभिन्न तरह की डिमाण्ड की जाती है उसे रिकॉर्ड किया जाने लगा और अब ऐसे बहुत से ऑडियों क्लिप वायरल हो रहे हैं जिनमें अधीक्षिका और सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा) के बीच संवाद की बात कही जा रही है और इसमें स्पष्ट रूप से कहीं बड़ी मात्रा में नगद राशि तो कहीं घी, तो कहीं ड्रायफ्रुड की डिमाण्ड स्पष्ट रूप से समझ में आती है।

अब जबकि इस तरह के ऑडियों वायरल हो रहे हैं तो फिर क्या जिला शिक्षा केन्द्र इन वायरल ऑडियों की जांच करायेगा? क्या जिला शिक्षा केन्द्र इस तरह से जो नियम विरूद्ध नियुक्ति हुई थी उस पर कोई कार्यवाही करेगा?

क्या अब जबकि नये जिला परियोजना समन्वयक आये हैं क्या वे पूरे मामले की तह तक जायेंगे और कैसें अपात्र को इस पद पर नियुक्त किया गया इसकी पूरी जांच करायेंगे।

क्या सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला जो कि हाल ही में स्थानांतरित होकर आये हैं वे भी इस मामले की गंभीरता को समझेंगे और क्या इसकी गंभीरतापूर्वक जांच करायेंगे कि कैसें जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षक को बिना विभागीय अनुमोदन के जिला शिक्षा केन्द्र में कार्य हेतु नियुक्त किया गया।

नये जिला स्त्रोत समन्वयक एवं नये सहायक आयुक्त से शिक्षा विभाग के अन्य लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं इस तरह की जो अवैध नियुक्तियाँ होती हैं वे न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं बल्कि विभागीय सम्मान को भी कम करती है लिहाजा विभाग में पारदर्शिता बनी रहे और सम्मान भी कायम रहे लिहाजा ईमानदारी से जांच आवश्यक है।

मंडला में दो ऑटो पार्ट्स दुकानों में चोरी, सीलिंग तोड़कर घुसे चोर

*** मालिक ने कहा- एक साल में पांचवी बार वारदात हुई।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

मंडला शहर में गुरुवार देर रात चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए लालीपुर तिराहे के पास स्थित दो ऑटो पार्ट्स दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों की छत के रास्ते सीलिंग तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे जब दुकानदारों ने दुकानें खोलीं, तब उन्हें घटना का पता चला।

चोरी की यह वारदात केएम ट्रेडर्स और मां नर्मदा मशीनरी सेंटर में हुई। दुकान संचालकों ने जब दोपहर में दुकानें खोलीं, तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और छत की सीलिंग टूटी हुई थी। सीलिंग टूटी देखकर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी।

केएम ट्रेडर्स के संचालक कपिल सोनी ने बताया कि चोर उनकी दुकान से करीब 40 हजार रुपए नकद और कुछ अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए हैं। वहीं, मां नर्मदा मशीनरी सेंटर में हुए नुकसान का फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है। इस दुकान के संचालक भूपेंद्र पटैल ने बताया कि पिछले एक साल के भीतर उनकी दुकान में चोरी की यह पांचवीं वारदात है।

यह पूरी घटना कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित मुख्य बाजार में हुई है, जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। घटना की खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चोरों की पहचान करने के लिए पुलिस दुकान और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक-प्रभारी मंत्री जायसवाल

*** सांदीपनि विद्यालय में गुरूपूर्णिमा पखवाड़े का आयोजन।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

मण्डला के सांदीपनि विद्यालय, ग्राम सागर में गुरुपूर्णिमा पखवाड़ा के अवसर पर गरिमामयी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके एवं क्षेत्रीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों और मेधावी छात्र-छात्राओं को मंच पर सम्मानित किया गया।

प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी जैसे उच्च पदों पर पहुँचकर जिले व प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ संस्कारवान बनना भी बेहद जरूरी है। हमें सदैव माता-पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक ही बच्चों के सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। साथ ही उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं से आगामी परीक्षाओं में शत-प्रतिशत परिणाम लाने का आह्वान किया।

श्री जायसवाल ने बताया कि शासन द्वारा छात्र हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जुलाई माह के भीतर ही कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी बच्चों को पुस्तकों का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया गया है। कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को मध्यान्ह भोजन, साइकिल और यूनिफॉर्म जैसी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं।

सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। जिले के एकलव्य और केंद्रीय विद्यालयों में अब सीबीएसई पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। बच्चों के कौशल विकास के लिए विद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय कुशराम और निवास विधायक श्री चैनसिंह वरकड़े ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में समस्त उपस्थितजनों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों में हिंदी के सुरेंद्र दुबे, सामाजिक विज्ञान की श्रीमती श्वेता तिवारी, गणित के संजय तिवारी, हिंदी के बेनी प्रसाद मरावी, फसल उत्पादन व पशुपालन की श्रीमती माया डेहरिया एवं जीव विज्ञान की श्रीमती पूर्णिमा पटेल शामिल रहे।

मेधावी विद्यार्थियों में 10वीं के धर्मेंद्र कछवाहा, देवांशु साहू, संध्या मरावी तथा 12वीं के अमित मर्सकोले, जागृति परवार और रूपाली राजपूत सम्मानित हुए।

छात्राओं की सरस्वती वंदना एवं गुरु वंदना नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति पर मंत्री श्रीमती संपतिया उइके और प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने 11-11 हजार रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की।

नशा मुक्ति अभियान के तहत विद्यार्थियों को किया जागरूक, नशे से दूर रहने का दिलाया संकल्प

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला/भुआबिछिया

प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत थाना बिछिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के शासकीय स्नातक महाविद्यालय भुआबिछिया, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुआ बिछिया एवं विद्या ज्योति हाई स्कूल बिछिया में पृथक-पृथक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बताया गया कि नशा व्यक्ति, परिवार एवं समाज के लिए घातक है। विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, मित्रों एवं सगे-संबंधियों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई। साथ ही अवैध मादक पदार्थों के कारोबार या नशे से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया।

थाना बिछिया पुलिस ने विद्यार्थियों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश देते हुए समाज में जनजागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए नशा से दूरी है जरूरी का संकल्प लिया।

आदेश | मण्डला जनपद की ग्राम पंचायत बिनैका में वित्तीय अनियमितता सिद्ध।

सरपंच-सचिव से 4.93 लाख रुपये वसूलने के आदेश

*** 15 दिन में राशि जमा करने के निर्देश।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

जिला पंचायत मण्डला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के न्यायालय ने ग्राम पंचायत बिनैका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तत्कालीन सरपंच श्रीमती अनुसुईया एवं सचिव विपिन पटैल को दोषी माना है। न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत कुल 4 लाख 93 हजार 942 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं। दोनों पर समान रूप से 2 लाख 46 हजार 971 रुपये जमा करने की जिम्मेदारी तय की गई है।

न्यायालय के समक्ष ग्राम बिनैका निवासी विजय चौरसिया की शिकायत पर जनपद पंचायत स्तर से कराई गई जांच में कई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि ग्रामसभा एवं पंचायत बैठकों में आय-व्यय का अनुमोदन नियमित रूप से नहीं कराया गया तथा नल-जल योजना सहित विभिन्न कार्यों में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया। निर्णय में उल्लेख है कि नल-जल योजना के तहत प्राप्त जलकर की राशि में से बड़ी रकम बैंक खाते में जमा करने के बजाय सीधे नगद खर्च की गई। पाइप लाइन मरम्मत एवं विस्तार कार्यों में मूल्यांकन से अधिक भुगतान, मोटर पम्प सुधार कार्य एवं पम्प हाउस संधारण पर बिना विधिवत अनुमोदन के व्यय तथा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने को गंभीर वित्तीय अनियमितता माना गया।

न्यायालय ने यह भी माना कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित नाडेप संरचना को नष्ट होने देने से शासकीय धन का अपव्यय हुआ, जिसकी जिम्मेदारी भी तत्कालीन सरपंच एवं सचिव की है। आदेश के अनुसार दोनों आरोपितों को 15 दिनों के भीतर निर्धारित राशि जिला पंचायत के शासकीय कोष में जमा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत 30 दिन के सिविल कारावास की कार्रवाई की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने तत्कालीन सरपंच श्रीमती अनुसुईया के विरुद्ध अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत पृथक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सचिव विपिन पटैल के विरुद्ध मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। यह आदेश 29 जून 2026 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मण्डला के न्यायालय द्वारा पारित किया गया।

आदेश

फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा ग्राम पंचायत एवं आंगनबाड़ी का किया लोकार्पण

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला/नारायणगंज

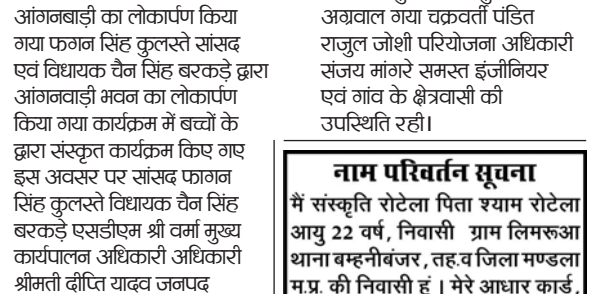

जनपद पंचायत नारायणगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद मंडला द्वारा एवं विधायक चैन सिंह बरकड़े के द्वारा किया गया ग्राम पंचायत देवरी जो कि विगत वर्षों में नई पंचायत बनी हुई थी वहां पर ग्राम पंचायत भवन न होने के कारण नई पंचायत की सौगात मिली फग्गन सिंह के उद्बोधन में कहा गया कि पंचायत आप लोग के लिए है पंचायत एक मंदिर समझे इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए नई योजना जन कल्याणकारी योजना एवं नए भवन को साफ सफाई एवं स्वच्छ बनाएं गांव के लोगों के द्वारा बालाई नदी के पास नर्सरी पहुंच मार्ग पर कच्ची सड़क होने के कारण वहां पर आने-जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे सीसी सड़क पक्की सड़क की मांग की है जो की कुलस्ते द्वारा शीघ्र ही ग्राम पंचायत देवरी को नई सड़क दी जाएगी ग्राम पंचायत भवन के लोकार्पण में सर्वप्रथम कुलस्ते एवं विधायक चैन सिंह बरकड़े द्वारा कन्याओं को फल एवं पुस्तक से टिका बंधन किया गया और कन्याओं से आशीर्वाद लिया इसके बाद माँ सरस्वती जी का पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई कुलस्ते द्वारा कहा गया कि पंचायत को स्वच्छ बनाएं एवं रखरखाव और ग्राम पंचायत में होने वाले सभी जन कल्याणकारी योजना को सभी लोगों तक पहुंचाएं और उनकी समस्याएं के बारे में जानकारी लेकर शीघ्र निराकरण किया जाए ग्राम पंचायत खैरी में आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया गया फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद एवं विधायक चैन सिंह बरकड़े द्वारा आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया गया कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा संस्कृत कार्यक्रम किए गए इस अवसर पर सांसद फागन सिंह कुलस्ते विधायक चैन सिंह बरकड़े एसडीएम श्री वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी श्रीमती दीप्ति यादव जनपद अध्यक्ष आसाराम भारतीय जनपद उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा रतन सिंह ठाकुर राजेश सोनी संतोष सोनी मल्लू सिंह मरावी गुलाब सिंह परस्ते मनोज मिश्रा देवरी सरपंच श्रीमती संध्या मार्को सचिव खुमान सिंह भगवान मिश्रा एसडीओ उइके ग्राम पंचायत खैरी में आंगनबाड़ी के लोकार्पण के अवसर फग्गन सिंह कुलस्ते चैन सिंह बरकड़े एसडीएम श्री वर्मा तहसीलदार श्री धुर्वे रतन सिंह ठाकुर विनोद अग्रवाल रघुनंदन विश्वकर्मा सरपंच श्रीमती शांति बाई परस्ते सचिन अनिल कुमार शर्मा सचिन शैली सिंह राजेश सोनी मनोज मिश्रा अभय साहू राकेश अग्रवाल सुंदर सोनी सुशांत अग्रवाल गया चक्रवर्ती पंडित राजुल जोशी परियोजना अधिकारी संजय मांगरे समस्त इंजीनियर एवं गांव के क्षेत्रवासी की उपस्थिति रही।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं संस्कृति रोटेला पिता श्याम रोटेला आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम लिमरूआ थाना बम्हनीबंजर, तह.व जिला मण्डला म.प्र. की निवासी हूं। मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक विलेखों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम श्याम रोटेला दर्ज है। मेरे नाम से जारी पासपोर्ट नंबर U-15644991 में मेरे पिता का नाम श्याम सुंदर रोटेला दर्ज है। उक्त श्याम रोटेला एवं श्याम सुंदर रोटेला दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानी मेरे पिता के ही हैं। अतःमेरे नवीन पासपोर्ट में मेरे पिता का नाम श्याम रोटेला दर्ज किया जावे। अतःयह शपथ पत्र मेरे द्वारा संबंधित विभाग/ कार्यालय/ संस्था के पक्ष में प्रस्तुत किया जा रहा है।

शपथकर्त्ता
संस्कृति रोटेला पिता श्याम रोटेला
ग्राम लिमरूआ थाना बम्हनीबंजर
तह. जिला मण्डला

खबर संक्षेप

महाविद्यालय मुख्य मार्ग पर आये दिन गिट्टी बिखरने से घटित हो रही घटनाओं में घायल हो रहे लोग

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। क्षेत्र की सड़को पर ओवर लोडिंग दौड रहे वाहन तथा सड़क किराने पड़े हुई निर्माण सामग्री के चलते प्रशासन द्वारा नजर अंदाज किये जाने का परिणाम निश्चित तौर से उन वाहन चालकों को भोगने के लिये मजबूर होते हुये देखा जाता है जो उन मार्गो से अपने वाहन लेकर निकलते है। जिसमें मुख्य रूप से देखा जावे तो क्षेत्र मुख्य सड़क जो गाडरवारा से कौड़िया या फिर पिपरिया की ओर जाती है यह राष्ट्रीय स्तर का मार्ग होने से यहां पर 24 घंटे वाहनों की धमाचौकड़ी मची हुई देखी जा रही है और उसी मार्ग के किनारे हमारे नगर का पीजी कालेज भी स्थित है। इस तरह यहां से निकले वाले गिट्टी व मिट्टी सहित रेत को ओवर लोड़गि भरकर ले जाने वाले डम्फरों की स्थिति इस तरह बनी रहती है कि जब वह इस मार्ग से तेज गति में दौड़ते हुये जाते है तो गिट्टी मुख्य मार्ग पर गिरने से नही चूकती है तो दूसरी ओर सड़क के किनारे रखे रहने वाली गिट्टी भी लगातार फैलते हुये मुख्य मार्ग पर पहुंच जाती है जो आये दिन वाहन चालकों के लिये परेशान का कारण तो बनती ही रहती है। मगर सबसे अधिक परेशानी महाविद्यालय के उन छात्र छात्राओं को उठाना पड़ती है जो अपनी बाइक के माध्यम से कालेज जा रहे होते है और इस तरह मुख्य मार्ग पर पड़ी हुई गिट्टी में उनक बाइक स्लिप होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस सच्चाई की ओर क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नही दिये जाने का परिणाम है कि ओवर लोड़गि करते हुये इस तरह की सामग्री ले जाने वाले डम्फर चालकों को हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे है।

इस तरह की गलती देती है घटनाओं का अंजाम दोष दिया जाता है कि सरकार पर ...

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। अक्सर देखा जाता है कि रेल्वे स्टेशन पर जब कोई ट्रेन खड़ी होती है और लोग जल्दी निकलने के चक्कर में अपने बच्चों सहित ट्रेन के नीचे से निकलने लगते है या फिर वह उसके सामने से ही निकलने लगते है..? कभी कभी स्थिति तो यह तक देखी जाते हे कि जब ट्रेन धीमी गति से निकलती है तो लोग अपने बच्चों के साथ उसके सामने निकलने से तक बाज नही आते है। वही स्टेशनों के इर्द गिर्द सामन बेचने वाले बच्चों को भी अक्सर देखा जाता है कि वह अपना समान जल्दी बेचने के चक्कर में जब ट्रेने खड़ी होती है तो दूसरी ओर से समान बेचने के चक्कर में अपनी जिन्दगी को पूर्णरूप से खतरे में डाल देते है। इस स्थिति में कभी भी कोई हदासा घटित होने से इंकार नही किया जा सकता है..? यदि गौर किया जावे तो मगर एक बार की उनकी यह गलती बच्चों की आदत में सदा बन जाती है, और यही गलती उन मासूम बच्चों की जिन्दगी के लिए एक दिन खतरा बन जाती है, मगर इसके लिए दोषी कौन होता है? इसके जिम्मेदार भी हम ही होते है। क्योंकि इस प्रकार की गलत आदते हमें ही डालते है। इस लिए सभी बच्चों के अभिभावकों को इस प्रकार गलत आदतों से बच्चों को रोकना चाहिये। मगर धन के लालच में इस सच्चाई को नजर अंदाज किये जाने के बाद जब घटनाये घटित हो जाती है तो दोष सरकार के देने से नही चूकते है.....।

सालीचौका में एसबीआई सहित अन्य बैक शाखाओं के स्थापना की उठाई जा रही मांग

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका। जहां एक ओर प्रदेश से लेकर केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को अनेक प्रकार की जनहितैषी योजनाएं चलाते हुए उनका भला किया जा रहा है। मगर वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में शासन द्वारा बरती जा रही जरूरी चीजे उपलब्ध नही कराये जाने के कारण ग्रामीण जन इसका लाभ नही ले पा रहे है? जिसके प्रमुख रूप से देखा जावे तो सरकार द्वारा चलाई जा रही लगभग सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर व्यक्ति का बैक में खाता होना जरूरी है जिसके लिए कुछ राष्ट्रीयकृत बैकों को शामिल किया गया है।

गर्मी का मौसम तो किसी तरह लगभग कट ही गया, मगर बारिश का सीजन इन बेघरों को कटना हो जावेगा मुश्किल

अनेक हितग्राहियों को समय पर आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से जिन्दगी को खतरा पैदा होने के साथ कच्चे मकानों की दीवारें चल रही सहारे के भरोसे...

हरिभूमि न्यूज/चीचली।

इस बात से इंकार नही किया जा सकता है कि जिस सोच के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की गई थी यदि यह योजना गफलत बाजी की भेंट चढ़ने से बच जाती तो निश्चित तौर इस योजना के सही हकदार है उनके कच्चे मकानों को सूरत बदलने में देर नही लगती। मगर जिस प्रकार से इस योजना को नगर परिषदों से लेकर ग्राम पंचायतों में क्रियान्वयन किया जा रहा है उसके चलते इस योजना के सही हकदार आज भी अपने कच्चे मकानों की दीवारों को लकड़ी का सहारा देते हुये अपनी जिन्दगी दाव पर लगाकर जिन्दगी काटते हुये देखे जा रहे है तो दूसरी ओर जो साधन संपन्न होने के साथ साथ जिनके पूर्व से पक्के मकान बने हुये है। वह लोग अधिकारियों की मिली भगत के चलते इस योजना का लाभ लेकर अपनी हबेलियाँ तानने से नही चूक रहे है..? इस प्रकार की सच्चाई पीतल नगरी चीचली से लेकर क्षेत्र के अनेक गांवों में देखने मिल रही है। जहां पर इस योजना के वास्तविक हकदार माने जाने वाले गरीबों के कच्चे मकान आज भी जर्जर स्थिति में होने के कारण उनमें निवास करने वालों की जिन्दगी दाव पर लगने से नही बच पा रही है। जबकि जिन लोगों को अभी तक यहां पर इस योजना का लाभ मिला है। यदि उनकी जांच कराई जावे तो निश्चित तौर से इस प्रकार के अनेक लोगों की सच्चाई सामने आने से नही चूक पायेगी जिनके पास पहले से ही पक्के मकान होने के साथ साथ उनके परिवारजनों के पास सभी प्रकार के साधन उपलब्ध होने के बाद भी अधिकारियों की कृपा दृष्टि कही जावे या फिर भाई भतीजावाद की देन जिसके चलते उनके मकान हबेली का रूप धारण कर चुके है..? इस सच्चाई को देखते हुये अब सबाल यह पैदा हो रहा है कि क्षेत्र के गरीबों द्वारा गर्मी का मौसम तो किसी तरह लगभग काट लिया गया है मगर अब बारिश का मौसम इस तरह जर्जर स्थिति में पहुंच चुके कच्चे मकानों में काटना निश्चित ही खतरे से खाली नही है। क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो चुका है और चंद दिनों बाद झमाझम बारिश का नजारा देखने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता हैं..? केन्द्र से लेकर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधनमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यह है था कि जिन गरीबों के पास कच्चे मकानों में रहते हुये अपनी व अपने बच्चों की जिन्दगी को खतरा पैदा हो रहा है उन लोगों को प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर देना है। जब इस योजना की शुरूआत हुई तो निश्चित तौर से गरीबों के चेहरों में इस तरह की खुशी देखने मिल रही थी जिसका वर्णन करना संभव नही हो सकता है? मगर इस योजना के क्रियन्वयन में जिस तरह की कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है उसके चलते जो इस योजना के सही हकदार है वह तो इस योजना को शुरू हुये लगभग पांच साल से भी अधिक का समय बीते जाने के बाद भी अपने मासूम बच्चों की जिन्दगी को खतरे में डालते हुये कच्चे मकानों में निवास करते हुये देखे जा रहे है। मगर दूसरी ओर जो लोग साधन संपन्न होने के साथ साथ पूर्व से ही पक्के मकान बने हुये थें वह जरूरी इस योजना के हकदार बनते हुये अपने मकानों को हबेलियों का रूप देने से नही चूक रहे है? यदि बीते हुये पांच वर्ष के दौरान अभी तक इस योजना का लाभ लेने वालों की सच्चाई की निष्ठा के साथ जांच कराई जावे तो निश्चित तौर से चौकाने वाले परिणाम सामने आने से नही चूक पायेगे? नगर परिषदों से लेकर ग्राम पंचायत में बैठे हुये जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के लोगों को आवास योजना में शामिल करते हुये लाभ प्रदान किया गया है। वह इस योजना को लाभ लेने के कोसो दूर तक हकदार नही माने जा सकते है? केन्द्र सरकार द्वारा गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुये शुरू की गई इस जनहितैषी योजना की मलाई खाने के लिये अनेक प्रभावशाली लोगों द्वारा एक ही परिवार के होने के बाद भी अलग अलग नामों से इस योजना का जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते लाभ उठाकर जहां अपने पूराने मकानों का निर्माण करने की जगह उन्हे रंग रोगन कराते हुये लाभ लिया गया है तो कुछ लोगों द्वारा एक परिवार से चार चार नाम शामिल कर मकान को हबेली के रूप में बना लिये गये है। जबकि प्रधान मंत्री आवास योजना के नियम के अनुसार स्वीकृत होने वाले आवास का हर हितग्राही के नाम पर अलग अलग निर्माण होना चाहिये था, जिसमें आवास का निर्माण पूर्ण होने के बाद हितग्राही का नाम अंकित होना चाहिये। मगर फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों परिवारों द्वारा एक ही परिवार में अलग अलग नाम पर राशि लेकर बनाये गये आवासों की जांच हुई तो निश्चित तौर से अपात्र होने के बाद भी इन्हें पात्र की सूची में सामिल करते हुये लाभ दिलाने वाले अधिकारियों का चेहरा सामने आने से नही बच पायेगा? वही दूसरी ओर इस योजना के कुछ हितग्राही तो इस तरह से भी मिल सकते है जिनको शासन द्वारा आवास निर्माण के नाम पर प्रथम किस्त प्रदान करते हुये उनके पुराने आवासों को तोड़वा दिये गये है। मगर दूसरी या फिर तीसरी किस्तों को प्रदान करने में बरती जाने वाली कोताही के चलते उनके आवास जहां अंधूरे पड़े हुये देखने मिल रहे है। वही कुछ लोग इस तरह से भी मिल सकते है जिन्होने योजना का लाभ लेने के लिये अपने पहले ही बने हुये मकानों की फोटो के माध्यम से राशि प्राप्त करने में कोई कसर नही छोड़ी गई है...? इस स्थिति में अनेक गरीब जहां पन्नी के झोपड़ी बनाते हुये अपना समय काट रहे है तो अनेक लोग किराये के मकानों में रहते हुये योजना का लाभ पाने में घर बैठे कर्जदार बनते चले जा रहे है? प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता का परिणाम है कि हितग्राहियों को आवास योजना की किस्तों का समय पर भुगतान नही होने के कारण जिन लोगों के आवास अधूरे पड़े हुये है उन्होने गर्मी का सीजन तो किसी भी प्रकार से काट लिया है। मगर अब उन्हें बारिश का सीजन काटना निश्चित तौर से मुश्किल होने से नही चूक पायेगा? क्योंकि पन्नी द्वारा बनाई गई झोपडी में अपना समय काटने वाले गरीब चार माह के लिये खाने पीने का सामन कैसे सुरक्षित रख पायेगे और जब घनघोर बारिश को दौर शुरू होगा तो पन्नी के भरोसे उनकी राते कैसे कट पायेगी।

विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुये विकास कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभारी मंत्री ने दिये सख्त आदेश

हरिभूमि न्यूज/सांईखेड़ा।

दादा धूनी वालों की नगरी सांईखेड़ा में बीते हुये गुरूवार को जिस तरह जिले के प्रभारी मंत्री सहित क्षेत्र विधायक व प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का आगमन के साथ साथ जिला स्तर के अधिकारियों की बैठक के चलते जहां धूनी नगरी जिला मुख्यालय के समान प्रतीत होने से नही चूक रही थी। बताया जाता है कि जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा साईंखेड़ा में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक, विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति लाने पर विशेष चर्चा की गई। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दादा धूनी वालों की नगरी साईंखेड़ा में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने अधिकारियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। इस बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती साधना स्थापक, साईखेड़ा नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सचिन अग्रवाल, गाडरवारा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य डा योगेश कौरव, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से विभागीय योजनाओं व उपलब्धियों एवं प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 10 वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम, विद्यालयों में नामांकन की स्थिति तथा जेईई एवं नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। इस पर प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में निर्माणाधीन संदीपनि विद्यालयों के कार्यों की भी समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। वन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक पौधरोपण करने के निर्देश देते हुये उन्होंने कहा कि पौधरोपण के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि पौधे सुरक्षित रहकर वृक्ष का रूप ले सकें। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली समितियों को किए गए भुगतान की जानकारी प्रस्तुत की। वहीं कृषि विभाग द्वारा जिले में हुई वर्षा की स्थिति एवं वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के लिए की जा रही तैयारियों एवं कार्ययोजना की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।

सड़क पर चलते हुये डंपर में अचानक आग लगने से फैली सनसनी

हरिभूमि न्यूज/सालीचौका। समीपस्थ ग्राम नांदनेर के पास क्षेत्र के राज्य स्तरीय मार्ग यानि की गाडरवारा पिपरिया मुख्य मार्ग से रेत परिवहन करने वाले एक डम्फर में अचानक आग लग जाने के कारण जहां सनसनी का महौल निर्मित होने से नही चूक पाया था। वही दूसरी ओर इस घटना के बाद सड़क के दोनों ओर काफी समय तक वाहनों की लाईन लगी हुई देखी गई। क्योंकि डम्फर से निकल रहे आग के शोलों के चलते इस मार्ग से वाहन चालक अपने वाहनों को निकालने में डर रहे थें। इस स्थिति में जाम बनने से नही चूक पाया था। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गाडरवारा पुलिस सहित नगर पालिका की फायर बिग्रेड मशीन ने पहुंचकर आग बुझाई। मगर इसके बाद भी डम्फर की चालक व परिचालक वाली केबिन जहां पूर्णरूप से जलकर खाक हो गई। इस तरह सड़क पर दौड़ रहे डम्फर में अचानक आगजनी की घटना को लेकर क्षेत्र में अनेक प्रकार की चर्चाओं का बाजार जरूरी गर्म होते हुये देखा जा रहा है। मगर आग लगने के कारणों का अभी तक जहां कोई पता नही चल पाया है। वही दूसरी ओर डम्फर का चालक व परिचालक के गायब होना भी सबालों को जन्म देने से नही चूक रहा है। घटना को लेकर पुलिस द्वारा अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है।

स्टैट हाईवे गाडरवारा करेली मार्ग पर निकल रहे गड्ढों के चलते वाहन चलना हुआ मुश्किल, किसी दिन घटित हो सकती है बड़ी घटना

हरिभूमि न्यूज/कौडिया। जहां एक ओर सरकार द्वारा लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मगर अक्सर देखा जाता है कि सरकार द्वारा सड़कों के लिए स्वीकृत की जाने वाली राशि का निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सीयों द्वारा इस प्रकार से निर्माण किया जाता है कि वह जहां चंद दिनों में अपनी गुणवत्ता की कहानी स्वयं बताने लगी है। वही दूसरी ओर आम लोगों के लिए पेरशानी का कारण बनती है? कुछ इसी प्रकार की सच्चाई इस समय स्टैट हाइवे माने जाने वाले गाडरवारा करेली व सांईखेड़ा मार्ग में भी देखी जा रही है। बताया जाता है कि जब इस सड़क का निर्माण हुआ था तो गांव के अंदर जिस प्रकार से निर्माण कार्य करने वाली कंपनी द्वारा जो गुणवत्ता को अपराया गया था उसी समय क्षेत्र के अखबरों द्वारा गुणवत्ता की सच्चाई को उजागर करते हुए क्षेत्र के नेताओं से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है। मगर उस समय अधिकाकारियों द्वारा बरती गई उदसीनता का परिणाम है कि इस सड़क पर निकल रहे गड्ढो के चलते जहां वाहन चलाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करने के लिए मजबूर होना ही पड़ रहा है। वही दूसरी ओर लोगों की जान के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। करोड़ो रूपया की लागत से लागत ग्राम कौड़िया के अंदर बनाई गई सीमेंट सड़क में गुणवत्ता की अनदेखी किये जाने के कारण यह सड़क जगह जगह से टूटने लगी है। सड़क के बीचों बीच जानलेबा गड्ड़े निर्मित हो गए है, जिसके चलते यह गड्ढे राहगीरो के लिए जानलेबा सिद्ध हो रहे है, इस समय चल रहे बारिश के मौसम में सड़क पर निकले हुए गड्ढो में बरसात का पानी भरने के कारण दिखाई नही देते है और जब अचानक वाहन उनमें चला जाता है तो आये दिन छोटे वाहन चालकों को गिरते हुए देखा जाता है, इस सच्चाई को लेकर लगातार आबाज उठाने के बाद भी संबंधित विभाग द्वारा इस ओर किसी भी प्रकार से ध्यान नही दिया जा रहा है,

कलेक्टर ने अचानक पहुंचकर गरधा मूंग उपार्जन केन्द्र का किया निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा।

शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग खरीदी के कार्य में किसी तरह कोई गड़बड़ी न हो तथा किसानों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े वही खरीदा हुआ माल पूर्ण गुणवत्ता पूर्ण होने के लिये अधिकारियों द्वारा खरीदी केन्द्रो पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के चलते समर्थन मूल्य पर चल रहे मूंग उपार्जन कार्य के तहत कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने गुरुवार को मूंग उपार्जन केंद्र गरधा पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। बताया जाता है कि इस निरीक्षण के दौरान उपार्जन व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा किसानों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली गई। बताया जाता है कि इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपार्जन केंद्र पर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तौल, गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना, परिवहन तथा भुगतान से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जाएं, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में अमानक (गुणवत्ताहीन) मूंग की खरीदी नहीं की जाए। गुणवत्ता परीक्षण पूरी सतर्कता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा प्रत्येक लॉट का सैंपल सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका सत्यापन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं तौल कांटे पर मूंग की बोरी रखवाकर तौल प्रक्रिया का परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य के दौरान सर्वेयर एवं समिति प्रबंधक अनिवार्य रूप से केंद्र पर उपस्थित रहें, ताकि गुणवत्ता परीक्षण, तौल एवं अन्य प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से संपादित हो सकें। साथ ही किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान डीडीए श्री आरपी झारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी- कर्मचारी और किसान मौजदू थे।

पराली से प्रगति की राह, कृषि अवशेषों को बनाया हरित ऊर्जा और रोजगार का आधार

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। जो पराली कभी किसानों के लिए परेशानी और प्रदूषण का कारण मानी जाती थी, वही आज किसानों की अतिरिक्त आय, स्वच्छ ऊर्जा और स्थानीय रोजगार का माध्यम बन रही है। यह बदलाव संभव हुआ है युवा उद्यमी सोहिल मंसूरी की दूरदर्शी सोच और मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं के सहयोग से प्रगति की राह पर ले जाते हुये देखे जा रहे है। बताया जाता है कि नगर के समीप डमरू घाटी के सोहिल मंसूरी बताते हैं कि वे पहले कृषि कार्य से जुड़े हुए थे। लगभग तीन वर्ष पूर्व उन्हें पंजाब जाने का अवसर मिला। जहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि फसल कटाई के बाद बचने वाले कृषि अवशेषों का उपयोग बायोमास पेलेट बनाने में किया जा रहा है। यह नवाचार उन्हें इतना प्रेरित कर गया कि उन्होंने इसे अपने क्षेत्र में भी शुरू करने का संकल्प लिया। वापस लौटने के बाद उन्होंने इस विषय का गहन अध्ययन किया। वही उन्हें जानकारी मिली कि बायोमास पेलेट का उपयोग एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसके बाद उन्होंने विशेषज्ञों और संबंधित विभागों से चर्चा की तथा मध्यप्रदेश शासन की एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी एवं एग्री इंफ्रा योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त कर ग्रीन इंडिया बायोफ्यूल्स की स्थापना की गई। सोहिल बताते हैं कि शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती किसानों को नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने किसानों को समझाया कि खेतों में बची पराली और अन्य कृषि अवशेष बेकार नहीं हैं, बल्कि उनकी आर्थिक कीमत है। किसानों को बेलर मशीन उपलब्ध कराने में सहयोग किया गया, जिससे धान की पराली, गन्ने की पत्तियां तथा अन्य कृषि अवशेषों को खेतों से एकत्र कर उनके प्लांट तक पहुंचाया जाने लगा। यहां इन अवशेषों से आधुनिक तकनीक के माध्यम से बायोमास पेलेट तैयार किए जाते हैं, जिनका उपयोग एनटीपीसी जैसे ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के विकल्प के रूप में किया जाता है। इस पहल से किसानों को कृषि अवशेषों का उचित मूल्य मिल रहा है, खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं में कमी आई है और मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी बढ़ावा मिला है। साथ ही, ग्रीन इंडियो बायोफ्यूल्स इकाई के माध्यम से क्षेत्र के 8 से 10 युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खेतों में नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है, लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तथा वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे में कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। सोहिल मंसूरी का मानना है कि यदि कृषि अवशेषों को समस्या नहीं, बल्कि संसाधन के रूप में देखा जाए, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। वे अन्य युवाओं से भी शासन की स्वरोजगार योजनाओं का लाभ लेकर नवाचार आधारित उद्यम स्थापित करने का आग्रह करते हैं। गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने ग्रीन इंडियो बायोफ्यूल्स इकाई का निरीक्षण किया और कृषि अवशेषों के वैज्ञानिक उपयोग की इस अभिनव पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय में वृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं तथा जिले के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं।

क्या ग्राम खुलरी वासी कभी नहीं कर पायेंगे एटीएम के दर्शन..

हरिभूमि न्यूज/खुलरी। जहां एक ओर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को लाभ बैक के माध्यम से प्राप्त हो जिसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके और हर व्यक्ति शासन की योजना का लाभ अपने खाते के माध्यम से ले सके। मगर वही दूसरी ओर देखा जा रहा है कि खुलरी क्षेत्र में स्थित बैक द्वारा अभी तक एटीएम की सुविधा प्रदान नही किये जाने के कारण लोगों को अपने खातों से राशि निकालने के लिए भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? गौर किया जावे तो खुलरी में स्थिति भारतीय स्टैट बैक शाखा के माध्यम से खुलरी के आलवा ग्राम भौरझिर, घघरोला, पटना, भूमिया ढ़ाना, पिठहरा, सूरना, मुडिया, लिंगा, बिलोनी, बेहरा, तिगुवा, करहैया, सलैया सहित अनेक गांवों के उपभोक्ताओं द्वारा जहां प्रतिदिन लेनदेन किया जाता है, वही दूसरी ओर अनेक ग्राम पंचायतों के खाते भी यही के बैक से संचालित हो रहे है, मगर बैक शाखा द्वारा अभी तक अपने उपभोक्ताओं को राशि निकालने के लिए एटीएम की स्थापना नही किये जाने की स्थिति में क्षेत्र के लोंगो को राशि निकालने के लिए भटकना पड़ता है। क्योंकि यदि किसी को अपनी राशि निकालना होता है तो वह सिर्फ बैक के कार्य दिवस व समय पर पहुंचता है तभी उसे राशि मिल पाती है। यदि अवकाश सहित अन्य समय किसी उपभोक्ता को राशि की जरूरत पड़ती है तो वह भटकने के लिए मजबूर देखा जाता है। इस स्थिति के चलते क्षेत्र की जनता द्वारा ग्राम खुलरी में एटीएम स्थापना की मांग करते हुए कई वर्षो से यह सुविधा शीघ्र शुरू करने की गुहार लगाई जा रही है। मगर इस मांग को वर्षो का समय बीते जाने के बाद भी पूरा नही होने से अब ग्रामीणों का कहना है कि क्या खुलरीवासी अपने गांव में एटीएम के दर्शन कभी नही कर पायेगे...?

खबर संक्षेप

प्राचार्य के खिलाफ शिकायत की होगी दोबारा जांच

शहपुरा। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहपुरा के प्राचार्य दिनेश कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध की गई शिकायत की एक बार फिर जांच होगी। जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, भोपाल के निर्देश पर जिला प्रशासन को शिकायत की पुनः जांच कराने के आदेश जारी किए गए हैं।जानकारी के अनुसार, संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, जबलपुर द्वारा 13 जुलाई 2026 को शिकायतकर्ता मनीष कुमार साहू को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि उनके 24 जून 2026 के आवेदन के आधार पर प्राचार्य के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच वरिष्ठ अधिकारी अथवा प्राचार्य स्तर के अधिकारी से कराए जाने का अनुरोध किया गया था। पत्र में उल्लेख है कि आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 12583, दिनांक 6 जुलाई 2026 के माध्यम से कलेक्टर एवं संबंधित जिला अधिकारियों को शिकायत की पुनः जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद मामले की जांच जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।संभागीय उपायुक्त ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पुनः जांच के संबंध में आवश्यक निर्देश पहले ही जिला डिंडौरी को भेजे जा चुके हैं। ऐसे में उनके कार्यालय स्तर से फिलहाल किसी अलग कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है और आगे की समस्त प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

नगर परिषद बनगवां में अमृत हरित महाअभियान के तहत 900 पौधों का रोपण

हरिभूमि न्यूज राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में शुक्रवार को अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-4 स्थित हेलीपैड ग्राउंड के समीप वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य नगर पालिका अधिकारी लखन लाल पनिका के निर्देश पर संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह ने की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, नगरवासियों एवं नगर परिषद के अधिकारियों-कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए ष्एक पेड़, अनेक जीवनष का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्ष न केवल शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि वर्षा जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नगर परिषद को केंद्र शासन की ओर से 12 हजार तथा राज्य शासन की ओर से 1 हजार पौधों के रोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में शुक्रवार को आयोजित अभियान के लिए आंवला, पपीता, करौंदा, मुनगा, मीठी नीम, आम, जामुन और सिंदूर सहित विभिन्न प्रजातियों के 1,000 पौधे उपलब्ध कराए गए, जिनमें से 900 पौधों का रोपण किया गया। नगर परिषद क्षेत्र में अब तक 2,800 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अमृत हरित महाअभियान के माध्यम से नगर परिषद क्षेत्र को अधिक हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह (अध्यक्ष, पिछड़ा मोर्चा), कमलेश चतुर्वेदी (मंडल अध्यक्ष), वरिष्ठ भाजपा नेता देवनाथ त्रिपाठी, पार्षद समय पटेल, राजकुमार सिंह, भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी पंकज कुमार शर्मा, भीम जायसवाल, संजय वर्मा, सच्चिदानंद सिंह, नगर परिषद के लेखापाल राजेश मिश्रा, परिषद के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, वार्डवासी, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

वसूली और फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

डिंडौरी।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वसूली और फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, अतिक्रमण, राजस्व वसूली, फार्मर रजिस्ट्री, आरओआर ई-केवाईसी, एनपीसीआई रिपोर्ट, सेल्फ रजिस्ट्रेशन की स्थिति, वनग्रामों से राजस्व ग्राम में संपरिवर्तित प्रकरण, भूमि आवंटन के लंबित मामले, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें, भू-अर्जन प्रकरण तथा साइबर तहसील रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षकों को निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने पर संबंधित एसडीएम को पत्र जारी करने तथा फार्मर रजिस्ट्री में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने वनग्रामों से राजस्व ग्राम में संपरिवर्तित लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज राजस्व संबंधी शिकायतों का गंभीरता एवं गुणवत्ता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।बैठक में अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन सहित सभी डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

वार्डवासियों की बैठक के बाद हरकत में आया नगर परिषद अमला

वार्ड 8-9 में सफाई व सीवर रेस्टोरेशन शुरू

डिंडौरी।

नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 एवं 9 (नर्मदा गंज) की वर्षों पुरानी मूलभूत समस्याओं को लेकर वार्डवासियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क, नाली, जल निकासी, सीवर रेस्टोरेशन और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में नागरिकों ने विकास कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।यह बैठक अधिवक्ता सम्यक जैन के कार्यालय में आयोजित हुई, जहां वार्डवासियों ने प्रशासन को समस्याओं के समाधान के लिए दो दिन का अंतिम अवसर देने पर सहमति बनाई। बैठक में यह भी कहा गया कि वार्ड की समस्याओं से नगर परिषद को कई बार अवगत कराया जा चुका है। वार्ड पार्षद द्वारा भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष लगातार मांग रखी गई, लेकिन अपेक्षित गति से कार्य नहीं होने के कारण नागरिकों में असंतोष बना हुआ है। कुछ नागरिकों ने आंदोलन शुरू करने का सुझाव भी दिया, हालांकि उपस्थित लोगों ने पहले प्रशासन को एक और अवसर देने का निर्णय लिया।

बैठक के अगले ही दिन नगर परिषद का अमला वार्ड क्रमांक 8 एवं 9 में सक्रिय नजर आया। सुबह लगभग 6 बजे से सफाई अभियान शुरू किया गया तथा लंबे समय से उपेक्षित नालियों की सफाई कराई गई। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित सीवर लाइन रेस्टोरेशन का कार्य भी संबंधित एजेंसी द्वारा प्रारंभ कर दिया गया।नगर परिषद के उपयंत्री शिवराज बघेल ने मौके पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया और रेस्टोरेशन कार्य की निगरानी की। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई कि प्रारंभ हुए कार्यों से वार्ड की अन्य लंबित समस्याओं के समाधान का रास्ता भी खुलेगा और विकास कार्यों में गति आएगी।बैठक में नागरिकों ने यह भी कहा कि वार्ड का विकास प्रशासन और जनभागीदारी, दोनों के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने विकास कार्यों में सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताते हुए प्रशासन से समयबद्ध और स्थायी समाधान की अपेक्षा व्यक्त की।

स्वैच्छिकता पर्व पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

समनापुर ।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशन में विकासखंड समनापुर की चयनित नवांकुर संस्था सामाजिक समरसता सेवा समिति, झांखी रैयत द्वारा स्वैच्छिकता पर्व के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ समाज में स्वैच्छिक सेवा और सामूहिक सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा।कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लेने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि केवल पौधारोपण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधों को वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि

पौधारोपण पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण, स्वच्छ वायु और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।विकासखंड समन्वयक मंजूलता राव ने कहा कि स्वैच्छिकता पर्व का उद्देश्य समाज में निस्वार्थ सेवा की भावना विकसित करना और लोगों को अपने गांव तथा क्षेत्र के विकास कार्यों में स्वेच्छा से भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही विकास को नई गति मिलती है।नवांकुर संस्था प्रभारी वेद प्रकाश यादव ने सभी उपस्थितजनों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी समाधान व्यापक स्तर पर पौधारोपण और उसके संरक्षण में ही निहित है।कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति देवलपुर के अध्यक्ष लल्लू सिंह ठाकुर, सचिव शिवकुमार बनवासी, समिति के सदस्य, नवांकुर संस्था के कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रम

डिंडौरी।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के निर्देशन में जिले में संचालित 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर उन्हें नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना रहा।अभियान के तहत पुरानी डिंडौरी स्थित मंडला बस स्टैंड, मेकलसुता कॉलेज, सीएम राइज विद्यालय धनुवासागर, शासकीय विद्यालय छांटा तथा समनापुर हाट-बाजार में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम शिवनिल नशा मुक्ति एवं मनोचिकित्सा केंद्र तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस दौरान जन-जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। मंडला बस स्टैंड परिसर में बस, ट्रक, कार और मोटरसाइकिल सहित विभिन्न वाहनों पर नशा मुक्ति संबंधी संदेशों वाले स्टीकर लगाए गए तथा पंपलेट वितरित कर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई। सार्वजनिक स्थलों पर बैनर और पोस्टर लगाकर भी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।कार्यक्रम में काउंसलर देवराज कछवाहा ने कहा कि नशा एक गंभीर बीमारी है, जिसका समय पर उपचार और उचित काउंसलिंग के माध्यम से प्रभावी समाधान संभव है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि नशे की लत से ग्रसित लोगों का तिरस्कार करने के बजाय उन्हें नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाने तथा उपचार दिलाने में सहयोग करें, ताकि वे सामान्य और सम्मानजनक जीवन की मुख्यधारा में लौट सकें।कार्यक्रम के संचालन में पुलिस प्रशासन के मार्गदर्शन के साथ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का सहयोग रहा।

किसान माह के तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का क्रेडिट कैंप आयोजित, 93 लाख रुपये के ऋण वितरित

डिंडौरी। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की पुरानी डिंडौरी शाखा में किसान माह के अंतर्गत क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को कृषि ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा बैंक की विभिन्न वित्तीय सेवाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए।कार्यक्रम में प्रधान कार्यालय से गार्जियन महाप्रबंधक शिवाशीष त्रिपाठी, क्षेत्रीय कार्यालय मंडला के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश प्रसाद सिंह परस्ते, उप क्षेत्रीय प्रबंधक जितेंद्र ठाकुर सहित डिंडौरी जिले की आठों शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। एनआरएलएम डिंडौरी की जिला परियोजना प्रबंधक अर्पणा पांडे, ब्लॉक प्रबंधक राजेश पांडे, विभिन्न शाखाओं के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) एवं बैंक सखियों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। क्रेडिट कैंप में विभिन्न शाखाओं से आए किसानों एवं ऋण खाताधारकों को कृषि क्षेत्र से संबंधित ऋण योजनाओं और बैंकिंग उत्पादों की जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ एवं महत्व से भी अवगत कराया गया। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए तथा बैंक के पुराने और प्रतिष्ठित ग्राहकों को सम्मानित किया गया।महाप्रबंधक शिवाशीष त्रिपाठी ने डिंडौरी जिले में एनआरएलएम टीम द्वारा बैंक को दिए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने कृषि एवं स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया।कार्यक्रम के दौरान डिंडौरी जिले की आठों शाखाओं द्वारा कुल 93 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए। बैंक प्रबंधन ने इसे किसान माह अभियान के तहत कृषि ऋण विस्तार और किसानों को बैंकिंग योजनाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

खजरवारा पंचायत में वित्तीय लेनदेन में अनियमितता के आरोप

कलेक्टर को सौंपा गया शिकायत पत्र

मेहंदवानी।

जनपद पंचायत मेहंदवानी की ग्राम पंचायत खजरवारा एक बार फिर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर चर्चा में है। वर्ष 2025-26 के दौरान 5वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर कलेक्टर डिंडौरी को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा गया है। शिकायत में पंचायत पर शासन के वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए लाखों रुपये के भुगतान, नल-जल योजना में कथित अनियमितता तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जिला स्तरीय तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराने की मांग की है।शिकायतकर्ता का दावा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके विपरीत आवेदक पर ही राशि वसूली की कार्रवाई की गई, जिसे शिकायत में शासन के निर्देशों के विपरीत बताया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत सचिव, सरपंच एवं अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों की मिलीभगत से वित्तीय नियमों के विरुद्ध भुगतान किए गए। शिकायत के अनुसार वर्ष 2026 में विभिन्न

व्यक्तियों के नाम पर लगभग 9.63 लाख रुपये का आहरण किया गया, जिसकी वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायत के अनुसार 15वें वित्त आयोग की नल-जल योजना के तहत वर्ष 2025 में 4.93 लाख रुपये तथा वर्ष 2026 में 5.02 लाख रुपये सामग्री क्रय के नाम पर खर्च दर्शाए गए हैं। इस प्रकार दो वर्षों में कुल 9.96 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक ही ग्राम पंचायत में इस स्तर का व्यय संदेह उत्पन्न करता है और इसकी स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए।शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नल-जल योजना मद में ग्राम पंचायत के खाते में लगभग 4.83 लाख रुपये उपलब्ध थे, जबकि इससे अधिक राशि का भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता ने इसे वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन बताते हुए संबंधित अभिलेखों की जांच की मांग की है।

सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता पर भी प्रश्न

ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित तीन सीसी रोड निर्माण कार्यों को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन और तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं कराए गए तथा कार्य पूर्ण होने से पहले ही भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने इन निर्माण कार्यों का पुनः तकनीकी परीक्षण कराने की मांग की है।शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी एवं वित्तीय जांच कराकर सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। साथ ही जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित सचिव, सरपंच एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की गई है।

न्यायालय-श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा के अतिरिक्त न्यायाधीश शहपुरा, जिला-डिण्डौरी म.प्र.
(पीठासीन अधिकारी-कर्नल सिंह श्याम)
/ /समंस //
व्यवहार वाद क्रमांक 03/2026
प्रो.नं. 70/26
पेशी दिनांक 06.082026
तेजीलाल झारिया विरूद्ध
भगत लाल एवं अन्य
प्रेषिती-(1)
संतवती पिता-मूलचंद, उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पडरिया कला, थाना व तहसील - शहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
आम जनता को सूचित किया जाता है, कि वादी तेजीलाल पिता-दादूलाल झारिया, उम्र 67 वर्ष, निवासी ग्राम-पडरिया कला, प.ह.नं.-28, रा.नि.मं.- रयपुरा, तहसील - शहपुरा जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की ओर से ग्राम पडरिया कला, प.ह.नं.-28, रा.नि.मं.- रयपुरा, तहसील - शहपुरा जिला डिण्डौरी में स्थित भूमि खसरा नं.-422 रकबा 0.1800 है. में से रकबा 0.1200 है. भूमि का वादी को एक मात्र स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी घोषित किये जाने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत इस न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया है, जिसकी सुनवाई 06.08.2026 को नियत है । यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत व्यवहार वाद के संबंध में कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 06.08.2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें । सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।यदि किसी कारण वश न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा ।यह आज दिनांक 14.07.2026 का मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(सील)
(कर्नल सिंह श्याम)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड शहपुरा, जिला - डिण्डौरी म.प्र.

सिस्टम की गड़बड़ी या कर्मचारियों की लापरवाही

दिवंगत शिक्षक के नाम जारी किया ई - अटेंडेंस का पत्र

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर

सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लाखों प्रयास किए जा रहे है। परन्तु प्रशासनिक अंदेखी व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण विभाग के कारनामें सामने आने लगते है। ऐसा ही मामला जिले के करेली विकासखंड क्षेत्र से सामने आया जहां पर कर्मचारियों के लापरवाही से दिवंगत शिक्षक को ई - अटेंडेंस ना लगाने पर नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के जारी होने के बाद शिक्षा विभाग लोगों हंसी का पात्र बनता जा रहा है। लोगों द्वारा उक्त पत्र को सोशल मीडिया में शेयर कर विभाग की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी कर रहे है। अब इसे आप क्या कहेंगें सिस्टम की गड़बड़ी या कर्मचारियों की लापरवाही, फिलहाल जिल शिक्षा अधिकारी द्वारा तकनीकी गड़बड़ी बताई है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर
क्रमांक / 5018 /आई.टी.सेल/SCN / 2026 नरसिंहपुर दिनांक 11-07-2026
प्रति,
11/32
जिला नरसिंहपुर

पोर्टल अपग्रेड होने के बाद भी गड़बड़ी

शिक्षा विभाग के ई-अटेंडेंस सिस्टम की तकनीकी खामियां एक बार फिर सामने आई हैं। विभाग द्वारा तीन बार पोर्टल अपग्रेड किए जाने के बावजूद त्रुटियां दूर नहीं हो सकी हैं। ताजा मामला करेली विकासखंड का है, जहां करीब सात माह पहले दिवंगत हो चुके शिक्षक के नाम ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने का नोटिस जारी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा विभाग ने 11 जुलाई को करेली ब्लॉक की प्राथमिक शाला रितुआ टोला में पदस्थ बताए गए जोगेंद्र किशोर दिलवाइड के नाम नोटिस जारी किया। इसमें ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने पर जवाब मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नोटिस विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में साझा होने के बाद मामला चर्चा में आ गया।

6 माह पूर्व हो चुका है शिक्षक का निधन

प्राप्त जानकारी के अनुसार ई- अटेंडेंस को लेकर शिक्षक के नाम पत्र जारी किया गया है। उनका निधन 28 दिसंबर को हो चुका है। उनके नाम से पत्र प्राप्त होने के बाद बताया गया कि इस नाम से कोई शिक्षक वर्तमान में पदस्थ नही है उसके बाद पड़ताल शुरू हुई जिसमें ज्ञात हुआ कि उनका निधन बीते 6 माह पूर्व हो चुका है। मृत शिक्षक के नाम से मिलता-जुलता नाम दर्ज कर नोटिस जारी होने से विभाग की कार्यप्रणाली और पोर्टल की खामियों पर सवाल उठने लगे हैं। नोटिस में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर के निर्देशों का हवाला देते हए ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने पर नोटिस में लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर के निर्देशों का हवाला देते हुए ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करने पर वेतन कटौती और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। साथ ही तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए थे। शिक्षकों का कहना है कि यदि पोर्टल से मृत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों का डेटा समय पर अपडेट नहीं किया जाता, तो निर्दोष कर्मचारियों पर भी गलत कार्रवाई की आशंका बनी रहती है।

सिविल सेवा का उल्लंघन

शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में बताया गया है। कि ई-अटेंडेंस मार्क करने के निर्देश दिये गये है तथा ई-अटेंडेंस मार्क न करने वाले शिक्षकों की वेतन कटौती किया जाना है वर्तमान में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत काफी कम है, जो शासनादेशों का उल्लंघन है। ई-अटेंडेंस शत प्रतिशत लगाये जाने के संबंध में संचालनालय द्वारा समय-समय पर व्ही-सी के द्वारा भी ई-अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिये गये है। परंतु आपके द्वारा ई-अटेंडेंस में मार्क करने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। जो गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है एवं आपके पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। तथा म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। आपके विरूद्ध म०प्र० सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर भेजा जावे आप अपना उत्तर तत्काल देना सुनिश्चित करें। पत्र जारी करने के बाद संबंधित विभाग के बाबुओं को सूचना अवश्य दी गई होगी या 6 माह से बिना किसी जानकारी के वेतन विभाग द्वारा दिया जा रहा था ऐसें कई सवाल विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे है। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार कुशवाहा ने बताया कि ई-अटेंडेंस संबंधी जानकारी के सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होती है। संभवतः पोर्टल से पुरानी जानकारी नहीं हटाई गई, जिसके कारण यह तकनीकी त्रुटि हुई है। मामले की जांच कर पोर्टल की जानकारी दुरुस्त कराई जाएगी।

खबर संक्षेप

ट्रेन से गिरा युवक, जिला अस्पताल में उपचार जारी, बेलखेड़ा रेलवे स्टेशन पर हादसा

जीआरपी ने तत्परता दिखाकर पहुंचाया अस्पताल

गोटेगांव। बेलखेड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बेलहाई निवासी 30 वर्षीय श्यामलाल यादव, पिता धनीराम यादव, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे।बताया जा रहा है कि स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही के दौरान धक्का लगने से वह ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी (रेलवे पुलिस) मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने जीआरपी की त्वरित एवं मानवीय कार्रवाई की सराहना की। फिलहाल युवक की हालत पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है।

जिले में अब तक 7.73 इंच वर्षा दर्ज

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जिले में एक जून से 17 जुलाई तक की अवधि में औसत रूप से कुल 196.4 मिमी अर्थात 7.73 इंच वर्षा दर्ज की गयी है। 17 जुलाई की सुबह तक बीते 24 घंटे में जिले में औसतन 7.73 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इस दिन तहसील नरसिंहपुर में 5 मिमी, गाडरवारा में 4, गोटेगांव में 25 मिमी और तेंदूखेड़ा 11 मिमी वर्षा आंकी गई है। भू-संसाधन एवं प्रबंधन नरसिंहपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जुलाई तक तहसील नरसिंहपुर में 203 मिमी, गाडरवारा में 209 मिमी, गोटेगांव में 135 मिमी, करेली में 152 और तेन्दूखेड़ा में 283 मिमी वर्षा आंकी गई है। इसी अवधि में पिछले वर्ष जिले में औसतन 621.60 मिमी वर्षा हुई थी। इस अवधि में पिछले वर्ष तहसील नरसिंहपुर में 645 मिमी, गाडरवारा में 697 मिमी, गोटेगांव में 578 मिमी, करेली में 562 मिमी और तेन्दूखेड़ा में 626 मिमी वर्षा हुई थी।

नशा मुक्ति की प्रेरणा, दिलाई शपथ

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशन में जिले में युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने तथा समाज में नशा मुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरसिंहपुर के कला पथक दल द्वारा शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नशा मुक्ति से संबंधित संवाद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई, ताकि वे स्वयं जागरूक होकर समाज में भी इस संदेश का प्रसार कर सकें।

किसी भी स्थिति में अमानक मूंग की खरीदी न हो: कलेक्टर

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। जिले में समर्थन मूल्य पर चल रहे मूंग उपार्जन कार्य के तहत कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने गुरुवार को मूंग उपार्जन केंद्र गरधा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपार्जन व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा किसानों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपार्जन केंद्र पर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तौल, गुणवत्ता परीक्षण, बारदाना, परिवहन तथा भुगतान से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जाएं, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर श्रीमती सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में अमानक (गुणवत्ताहीन) मूंग की खरीदी नहीं की जाए। गुणवत्ता परीक्षण पूरी सतर्कता और निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा प्रत्येक लॉट का सैंपल सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका सत्यापन किया जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं तौल कांटे पर मूंग की बोरी रखवाकर तौल प्रक्रिया का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य के दौरान सर्वेयर एवं समिति प्रबंधक अनिवार्य रूप से केंद्र पर उपस्थित रहें, ताकि गुणवत्ता परीक्षण, तौल एवं अन्य प्रक्रियाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी ढंग से संपादित हो सकें। साथ ही किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान डीडीए आरपी झारिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी- कर्मचारी और किसान मौजदू थे।

अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने प्रशासनिक कार्यों की सुगमता एवं राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण को ध्यान में रखते हुए जिले की विभिन्न तहसीलों में राजस्व न्यायालयीन एवं गैर न्यायालयीन (कार्यपालिक मजिस्ट्रेट) कार्यों के संपादन हेतु तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, नायब तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं प्रभारी नायब तहसीलदारों की पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन, राजस्व विभाग के आदेशों के परिपालन में स्थानांतरण एवं पदोन्नति के माध्यम से अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन विवेक मूले को अधीक्षक भू-अभिलेख (राजस्व एवं भू-संसाधन प्रबंधन) के माध्यम से जिले की समस्त तहसीलों के कार्यों की मॉनिटरिंग तथा राजस्व अधिकारियों की बैठकों के जरिए समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त प्रभारी नायब तहसीलदार राजेन्द्र कुमार ठाकुर को सहायक अधीक्षक भू-संसाधन प्रबंधन तथा प्रभारी नायब तहसीलदार राजेश पटवा को सत्कार शाखा अंतर्गत कार्य हेतु पदस्थ किया गया है। तहसीलवार पदस्थापनाएं की गई है।

सर्व ब्राह्मण महिला परिषद ने किया वृक्षारोपण

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। गत दिवस सर्व ब्राह्मण महिला एकता परिषद द्वारा प्रस्तावित अटल पार्क में वृक्षारोपण किया गया। वर्षा ऋतु के आगमन पर परिषद के द्वारा वृक्षारोपण की शुरुआत की गई, जिलाध्यक्ष श्रीमती विवेक पांडे, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अरुणा दुबे , जिला सचिव श्रीमती ज्योति तिवारी , जिला नगर कोशाध्यक्ष श्रीमती नंदिता चैबे , जिला संगठन मंत्री मंजू लता पांडे, श्रीमती सुभावन पांडे, मंजू दुबे, सुषमा मिश्रा,ज्योति पचैरी, कीर्ति पालीवाल, सुनीता शर्मा, सुधा तिवारी एवं रुक्मणी ढिमोले आदि सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण पार्क में किया।

मुख्य अभियंता ने वितरण केन्द्र का किया औचक निरीक्षण

उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए पूरी निष्ठा से काम करने दिये निर्देश

तेंदूखेड़ा। विगत दिवस जबलपुर क्षेत्र मुख्य अभियंता एस.के. गिरिया द्वारा गाडरवारा संभाग के अंतर्गत आने वाले वितरण केन्द्र तेंदूखेड़ा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण यंत्री नीलाभ श्रीवास्तव नरसिंहपुरकार्यपालन अभियंता दिनेश पाल गाडरवारा प्रियंक दीपक कार्यपालन अभियंता एसटीएम एसटीसी नरसिंहपुर सहायक अभियंता पी.के.लोधी गाडरवारा द्वितीय कनिष्ठ अभियंता पुरुषोत्तम धुर्वे कनिष्ठ अभियंता प्रमुख रुप से उपस्थित थे। मुख्य अभियंता द्वारा कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उक्त अवसर पर लाइन परिचालक मदनपुर मुख्यालय कार्य में लापरवाही पाए जाने पर निलंबित किया गया।निरीक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जिसमें मुख्यालयवार ग्रामवार राजस्व बकाया राशि की विस्तृत समीक्षा । 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों की ट्रिपिंग की समीक्षा। एनएससी कार्यों की प्रगति की समीक्षा। पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति की समीक्षा। 1912 एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि शत प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। कृषि उपभोक्ताओं को नियमानुसार 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाए। 1912 एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित सुचारु एवं निर्बाध बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं। मुख्य अभियंता ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपभोक्ता हित सर्वोपरि रखते हुए पूर्ण जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करने तथा शासन एवं कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए।

आर्यिका ससंघ आगमन

तेंदूखेड़ा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की सुयोग्य शिष्या आर्यिका प्रशांत मति एवं आर्यिका विशुद्ध मति माता जी का तेंदूखेड़ा में चातुर्मास होना है नरसिंहपुर से पद विहार करते हुए आर्यिका संघ का डोभी पहुंचने पर सकल दिगम्बर जैन समाज ने माता जी की बड़े ही श्रद्धा भाव एवं हर्ष उल्लास बैंड बाजों के बीच मंगल आगवानी की पूरी समाज में उत्साह का वातावरण देखा गया।आर्यिका माता जी के मंगल सानिध्य में सुबह चंदा प्रभु जिनालय डोभी में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा एवं पूजन सम्पन्न की गई।आज शनिवार को पद विहार करते हुए आर्यिका संघ का सुबह तेंदूखेड़ा नगर आगमन पर सकल दिगम्बर जैन समाज द्वारा जोरदार तैयारियां की गई है। चार्तुमास के दौरान विविध धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन मंदिर परिसर में संपन्न होंगे जिससे नगर में धार्मिक वातावरण बना रहेगा।

प्रक्षी ठाकुर का नवोदय विद्यालय में चयन

तेंदूखेड़ा। विगत दिवस संपन्न हुई जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई थी जिसमें बाल विद्या मंदिर हायर सेकंडरी स्कूल गुटोरी की छात्रा प्रक्षी ठाकुर पिता श्री अनिल ठाकुर का प्रतीक्षा सूची के बाद नवोदय विद्यालय में चयन हो गया। बिटिया को विद्यालय परिवार द्वारा शुभकामनाएं प्रेषित कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। गौरतलब रहे कि इसी सत्र में अनन्या पटेल का भी नवोदय विद्यालय में चयन हुआ था।

बारिश में भी नहीं थमी आस्था, भव्य निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राभक्तों ने खींचा रथ

गोटेगांव। आषाढ़ माह की अमावस्या के द्वितीय दिन ग्राम श्रीनगर के प्राचीन जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। झमाझम बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। ₹जय जगन्नाथ₹ के जयघोष के साथ भक्तों ने पूरे उत्साह से रथ खींचा।परंपरा का निर्वहनपौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 108 कलशों से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ अस्वस्थ हो जाते हैं और एक माह तक दर्शन नहीं देते। स्वस्थ होने के बाद वे अपनी मौसी के घर दर्शन देने जाते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन श्रीनगर में वर्षों से किया जा रहा है।यह मंदिर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में निर्मित हुआ था। उनके मार्गदर्शन में ही श्रीनगर से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो आज भी निरंतर जारी है।भक्तों के द्वार पहुंचे भगवानरथ यात्रा जगदीश मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्रीराम मंदिर पहुंची। मार्ग में श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं और रंगोलियों से भगवान का स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान रहे।नौ दिन रहेंगे मौसी के घरभगवान अब नौ दिनों तक श्रीराम मंदिर में विराजमान रहेंगे। देवशयनी एकादशी पर उनकी पुनः जगदीश मंदिर में वापसी होगी। इस अवसर पर श्रीनगर में भव्य मेले का आयोजन भी किया जाएगा।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा भारी वाहनों से जाम और हादसे की आशंका

गोटेगांव। नगर के मुख्य बाजार और व्यस्त मार्गों पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही अब स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है।विद्यालय खुलने के बाद प्रतिदिन हजारों छात्र-छात्राएं पैदल, साइकिल और दोपहिया वाहनों से स्कूल आते-जाते हैं। अधिकांश स्कूलों की छुट्टी शाम चार बजे के आसपास होती है, उसी समय ट्रक, डंपर और अन्य भारी वाहनों का आवागमन दुर्घटना की आशंका बढ़ा देता है।नगर का मुख्य बाजार पहले से ही संकरी सड़कों, बढ़ते यातायात और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा है। भारी वाहनों के प्रवेश से अक्सर लंबा जाम लग जाता है, जिससे आमजन, व्यापारी, विद्यार्थी और यहां तक कि एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से बने बायपास का उद्देश्य भारी वाहनों को शहर से बाहर रखना था, लेकिन नियमों का प्रभावी पालन नहीं होने से अधिकांश वाहन आज भी मुख्य बाजार से गुजर रहे हैं।नागरिकों की प्रमुख मांगसुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए।सभी भारी वाहनों का संचालन केवल बायपास मार्ग से कराया जाए।नागरिकों का कहना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी और स्कूली बच्चों सहित आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने की जा रही अपील

तेंदूखेड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान 2.0 के तहत नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक डॉ ऋषिकेश मीणा के मार्गदर्शन में जिले के युवाओं को नशे से दूर रहने हेतु लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चांवरपाठा में एक दिवसीय नशा मुक्ति सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूक एवं नशे की दूष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। नेशनल यूथ अवार्डी शिवम मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने हेतु प्रेरित किया गया। इस मौके पर पुलिस चौकी बरमान से प्रधान आरक्षक नरेंद्र सराठे आरक्षक हसन रजा रचना जाट अरविंद चौबे प्राचार्य के पी सलिलवार शिक्षक राजेश सेन विद्यालय स्टाफ सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।